कार्यालय वनमंडलाधिकारी, दक्षिण छिन्दवाड़ा सा. वनमंडल

E-mail ID :: dfosouth_chw@rediffmail.com / dfosouth_dm@rediffmail.com, P.- (07162)243459, Fax (07162)230601

क्रमांक/मा0चि0/ 775 छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 MAY 2020

प्रति,

संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस,
डेव्हलपर्स लिमिटेड, 09 इमामबाड़ा रोड,
नागपुर (महाराष्ट्र)

विषय :– छिन्दवाड़ा जिले में विशेष आर्थिक क्षेत्र (Specical Economic Zone) की स्थापना/निर्माण निर्माण हेतु 8.33 हे. वनभूमि एवं 72.407 हे. राजस्व वनभूमि कुल 80.737 हे भूमि मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड नागपुर को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भ :– अ.प्र.मु.व.सं.(भू–प्रबंध)म.प्र.भोपाल के पत्र क्र./663 दिनांक 17.02.2020 एवं भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र./8-16/2019-FC दिनांक 11.02.2020

====000====

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें अधिरोपित शर्तो के पालन में एड–हॉक–कैम्पा मद में शीधे जमा करने योग्य एवं राजस्व मद में जमा करने हेतु निम्नानुसार राशि का मांग पत्र जारी किया जाता हैं।

(1) क्षतिपूरक वनीकरण एवं नेट प्रजेंट वेल्यू की राशि :– योजनान्तर्गत प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु **42108964.00** रू. एवं नेट प्रजेंट वेल्यू (N.P.V.) हेतु **52015772.00** रू. कुल **94124736.00** रू. निर्धारित की जाती है। वनीकरण योजनाएं पुनरिक्षित होने पर अन्तर की राशि एवं नेट प्रजेंट वेल्यू की राशि के संबंध में शासन से कोई निर्देश/आदेश प्राप्त होते है तो अंतर की राशि आवेदक संस्था द्वारा तत्काल जमा कराई जावेगी इस आशय का वचन पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

अतः कृपया अ.प्र.मु.व.सं.(भू–प्रबंध)म.प्र.भोपाल के पत्र क्र./एफ–10/बजट/2048 दिनांक 22.08.2015 एवं 1039 दिनांक 22.04.2017 के निर्देशानुसार एड–हॉक–कैम्पा में सीधे जमा करने योग्य कुल राशि **94124736.00** रू. **(नौ करोड़ इक्तालिस लाख चौबीस हजार सात सौ छत्तिस रूपये) e-payment portal (internet banking अथवा e-challan द्वारा RTGS and off line challan)** के माध्यम से जमा कराई जावेगी। उस प्रक्रिया के तहत आन–लाईन प्रकरणो हेतु वेबसाईड www.forestsclearance.nic.in में आवेदक संस्था के login में e-payment portal option mode के माध्यम से पंजीयन कर demand letter की प्रति पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जिसकी सूचना नोडल अधिकारी को प्राप्त होगी तथा उनके द्वारा verify किया जाकर इसे स्वीकृत कर अवगत कराने के पश्चात ही आवेदक संस्था द्वारा तत्संबंध में चालान जनरेट किया जा सकेगा। अतः उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार राशि जमा कर चालान की एक प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। उपरोक्त चालान की प्रति प्राप्त होने उपरांत ही राशि का ट्रांजेक्शन मान्य किया जावेगा।

(2) क्षतिपूरक वनीकरण के पर्यवेक्षण शुल्क की राशि :– वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना रकबा 83.142 हे. हेतु प्रस्तावित पूर्णपरिगणित राशि के 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की राशि **4211036.00** रू., (**बैयांलिस लाख ग्यारह हजार छत्तिस रूपये**) का डिमांड ड्राफ्ट, वनमंडलाधिकारी, दक्षिण वनमंडल छिन्दवाड़ा के नाम से इस कार्यालय में जमा करावें, ताकि उक्त राशि राज्य के राजस्व मद में जमा कराई जा सकें।

(3) संदर्भित पत्रों से प्राप्त स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र. (ii) एवं (iii) a के अनुसार प्रभावित वन भूमि के बदले दुगनी गैर वन भूमि प्राप्त किया जाना है अतएव 78.332 हे. अंतर की गैर वन भूमि, वनमंडलाधिकारी दक्षिण वनमंडल छिन्दवाड़ा के नाम से वन विभाग को प्रदाय करें। इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें।

अतः उपरोक्त दिये गये निर्देशानुसार चाही गई राशि जमा कराकर स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का शर्तवार पालन प्रतिवेदन एवं शर्तवार वचन पत्र हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में इस कार्यालय में यथाशीघ्र प्रस्तुत करें।

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण छिन्दवाड़ा वनमंडल

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 776 छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 MAY 2020

प्रतिलिपि :– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र.भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. मु.व.सं.व.वृ.छिन्दवाडा की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण छिन्दवाड़ा वनमंडल

28/05/20